


10.02.20

पाली

पत्रावली पेश हुयी।
 वकील प्रार्थी अनु। वकील अप्रार्थी उपर।
 वकील प्रार्थी की अनु के कारण भूल वाद अदम
 हजरी अदम पेशी में खारिज किजे जाने से इत
 जा.प. को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं
 रहता है लिहाजा ज.प. समाप्त (Dismiss) किया
 जाता है। पत्रावली के साथ शुभार होकर नम्बर ले
 कम है।


 सहायक कलेक्टर
 पाली

